राजस्थान सरकार
ऊर्जा विभाग

अधिसूचना

एफ. 16(1) ऊर्जा/2015 जयपुर, दिनांक : 9.6.2016

राजस्थान पावर सेक्टर सुधार अधिनियम, 1999 (1999 का अधिनियम सं. 23) की धारा 14 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड की आस्तियों, सम्पत्तियों, अधिकारों, दायित्वों, बाध्यताओं और कार्यवाहियों का जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड और जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड को अन्तरण करने का उपबंध करने और उसे प्रभावी करने के लिए इसके द्वारा, निम्नलिखित अन्तरण स्कीम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ.– (1) इस स्कीम का नाम राजस्थान पावर सेक्टर सुधार अन्तरण स्कीम-2, 2016 है।

(2) ये स्कीम राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी।

2. परिभाषाएं.– (1) इस स्कीम में, जब तक विषय या संदर्भ में कोई बात विरूद्ध न हो,–

(क) **"अधिनियम"** से राजस्थान पावर सेक्टर सुधार अधिनियम, 1999 (1999 का अधिनियम सं. 23) अभिप्रेत है;

(ख) **"आस्तियां"** से भूमि, भवन, समस्त संरचनाएं और वृक्ष अभिप्रेत है;

(ग) **"अन्तरण की प्रभावी तारीख"** से राजपत्र में इस स्कीम के प्रकाशन की तारीख अभिप्रेत है;

(घ) **"जयपुर वितरण कम्पनी"** से जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (ज.वि.वि.नि.लि.) अभिप्रेत है जो राजस्थान पावर सेक्टर सुधार अन्तरण स्कीम, 2000 की अनुसूची-ठ के भाग-2 में यथा विनिर्दिष्ट क्षेत्र में विद्युत के वितरण और प्रदाय के कारबार में लगने के मुख्य उद्देश्य से निगमित की गयी है;

(ङ) **"जोधपुर वितरण कम्पनी"** से जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (जो.वि.वि.नि.लि.) अभिप्रेत है जो राजस्थान पावर सेक्टर सुधार अन्तरण स्कीम,

2000 की अनुसूची–ठ के भाग–3 में यथा विनिर्दिष्ट क्षेत्र में विद्युत के वितरण और प्रदाय के कारबार में लगने के मुख्य उद्देश्य से निगमित की गयी है;

(च) **"दायित्व"** से, ऐसे समाश्रित दायित्वों को सम्मिलित करते हुए, जो विनिर्दिष्ट उपक्रम के संबंध में अन्तरण की प्रभावी तारीख से पूर्व के संव्यवहारों के बारे में उद्भूत हों, किसी भी प्रकृति के कानूनी दायित्वों और सरकारी उद्ग्रहणों को सम्मिलित करते हुए सभी दायित्व, ऋण, शुल्क, बाध्यताएं और अन्य खर्चे अभिप्रेत हैं, तथापि, कार्मिकों और उनसे संबंधित मामलों से संबंधित दायित्व इसमें सम्मिलित नहीं है;

(छ) **"कार्यवाहियां"** से, वादों, अपीलों, परिवादों, याचिकाओं, आवेदनों, सुलहकारी या माध्यस्थम को सम्मिलित करते हुए किसी भी प्रकृति की ऐसी समस्त कार्यवाहियां, चाहे वे सिविल हों या दाण्डिक या अन्य प्रकार की, अभिप्रेत है, जिनमें 'बिजली कम्पनी' एक पक्षकार हो;

(ज) **"रा.वि.प्र.नि."** से राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड अभिप्रेत हैं जो विद्युत के उत्पादन, पारेषण और थोक प्रदाय के कारबार में लगने के मुख्य उद्देश्य से निगमित किया गया है;

(झ) **"सुधार स्कीम"** से राजस्थान पावर सेक्टर सुधार अन्तरण स्कीम, 2000 अभिप्रेत है;

(ञ) **"अनुसूची"** से इस स्कीम से संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है;

(ट) **"राज्य सरकार"** से राजस्थान सरकार अभिप्रेत है;

(ठ) **"अन्तरिती"** से जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड या, यथास्थिति, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड अभिप्रेत है;

(ड) **"अन्तरक"** से राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड अभिप्रेत है;

(2) इस स्कीम में प्रयुक्त किये गये किन्तु परिभाषित नहीं किये गये शब्दों और अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जो उन्हें अधिनियम में समनुदेशित किया गया है।

3. आस्तियों और दायित्वों इत्यादि का अन्तरण.– (1) अनुसूची–क और अनुसूची–ख में दर्शित आस्तियां, जो पूर्व में सुधार स्कीम के अधीन अन्तरक को अन्तरित और उसमें निहित हो गयी थीं, अनुसूची–क और अनुसूची–ख में विनिर्दिष्ट आस्तियां क्रमशः जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड और जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड को अन्तरित और उनमें निहित हो जायेंगी।

(2) अन्तरितियों को खण्ड (1) के अधीन आस्तियों के ऐसे अंतरण और निहित होने पर, अन्तरिती उन्हें अन्तरित आस्तियों से संबंधित, अन्तरण की प्रभावी तारीख को विद्यमान या प्रभाव रखने वाली ऐसी सभी संविदाओं, अधिकारों, विलेखों, स्कीमों, बंधपत्रों, करारों और अन्य लिखतों के लिए, चाहे वे किसी भी प्रकृति की हों, जिनका अन्तरक प्रारम्भ में एक पक्षकार था, वैसी ही रीति से उत्तरदायी होंगे जैसा अन्तरक अन्तरण की प्रभावी तारीख से ठीक पूर्व दायी था, और वे अन्तरितियों के विरुद्ध या पक्ष में प्रवृत्त और प्रभावी होंगी और उन्हें उसी प्रकार पूर्णतः और प्रभावी रूप से प्रवृत्त किया जा सकेगा मानो अन्तरक की बजाय अन्तरिती उनका पक्षकार था।

(3) (i) अनुसूची–क में, विनिर्दिष्ट आस्तियों के अन्तरण और निहित होने के लिए प्रतिफल के रूप में जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, 76.64 लाख रुपये का संदाय करेगा; और

(ii) अनुसूची–ख में, विनिर्दिष्ट आस्तियों के अन्तरण और निहित होने के लिए प्रतिफल के रूप में जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड को 6.32 लाख रुपये का संदाय करेगा;

4. लम्बित कार्यवाहियां.– अन्तरण की प्रभावी तारीख पर अन्तरक द्वारा या अन्तरक के विरूद्ध लम्बित समस्त कार्यवाहियां, चाहे वे किसी भी प्रकृति की हों, अधिनियम में और इस स्कीम के उपबंधों में उल्लिखित अन्तरण स्कीम के कारण प्रशमित, बन्द या अन्यथा किसी भी रूप में प्रतिकूलतः प्रभावित नहीं होगी और ऐसी कार्यवाहियां ऐसे अन्तरिती द्वारा या के विरूद्ध, जिसे केवल इस स्कीम के अनुसार ऐसी कार्यवाहियों से संबंधित आस्तियां और दायित्व समनुदेशित किये जाते हैं, चालू रखी और अभियोजित की जा सकेंगी और किसी भी अन्य के द्वारा या विरूद्ध नहीं। ऐसी कार्यवाहियां अन्तरक द्वारा या अन्तरक के विरूद्ध उसी रीति से और उस सीमा तक चालू रखी जा सकेंगी जिस तक वे, यदि इस

12

स्कीम में विनिर्दिष्ट अन्तरण नहीं किये गये होते तो चालू रखी जाती और अभियोजित की जाती।

5. **राज्य सरकार का विनिश्चय.–** (1) इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन, इस स्कीम के अधीन के अन्तरणों के संबंध में यदि कोई भी संदेह, विवाद, मतभेद या विवाद्यक उद्‌भूत होता हो तो उस पर राज्य सरकार का विनिश्चय अन्तिम होगा और सभी पक्षकारों पर बाध्यकार होगा।

(2) राज्य सरकार राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा अधिनियम के उपबंधों से असंगत न होने वाले ऐसे उपबंध कर सकेगी जो इस स्कीम के अधीन अन्तरण के क्रियान्वित करने में उत्पन्न होने वाली कठिनाईयों का निराकरण करने के लिए आवश्यक प्रतीत हों।

अनुसूची–क

राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड से जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड को अन्तरित की जाने वाली आस्तियां
(खण्ड 3 देखिए)

राष्ट्रीय राजमार्ग–8 के दाहिनी तरफ लगभग 38685.886 वर्ग मीटर (लगभग 46269.468 वर्ग गज) माप वाली रा.वि.प्र.नि. हीरापुरा, ग्राम गजसिंहपुरा, तहसील जयपुर की भूमि (भवनों और समस्त संरचनाओं और वृक्षों को सम्मिलित करते हुए), जो वर्तमान में सहायक भंडार नियंत्रक के कार्यालय के रूप में उपयोग में ली जा रही है।

अनुसूची–ख

राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड से जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड को अन्तारेत की जाने वाली आस्तियां
(खण्ड 3 देखिए)

लगभग 6468.8816 वर्ग मीटर माप वाली रा.वि.प्र.नि. अतिथि गृह, शास्त्री सर्किल, जोधपुर की भूमि (भवनों और समस्त संरचनाओं और वृक्षों को सम्मिलित करते हुए)।

राज्यपाल के आदेश से,

(यू.डी.खान)
संयुक्त शासन सचिव
9/6/16

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान
2. विशिष्ठ सहायक, माननीय राज्य मंत्री ऊर्जा
3. मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर
4. अध्यक्ष, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, नई दिल्ली
5. सचिव, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली
6. प्रमुख शासन सचिव, ऊर्जा विभाग
7. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण/उत्पादन निगम लिमिटेड, जयपुर
8. अध्यक्ष, विद्युत वितरण निगम्स लिमिटेड, जयपुर।
9. प्रबन्ध निदेशक, जयपुर/जोधपुर/अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर/जोधपुर/अजमेर
10. सचिव, राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग, जयपुर
11. प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड, जयपुर
12. अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि उक्त अधीसूचना को राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित करवाकर दो प्रतियॉ इस विभाग को भिजवावे।
13. वरिष्ठ विद्युत निरीक्षक, विद्युत निरीक्षणालय, जयपुर।
14. रक्षित पत्रावली

संयुक्त शासन सचिव

9/6/16

Government of Rajasthan
Energy department

Notification

F.16(1)Energy/2015 Jaipur, Dated : 9.6.2016

In exercise of the powers conferred by section 14 of the Rajasthan Power Sector Reforms Act, 1999 (Act No.23 of 1999), the State Government hereby makes the Transfer Scheme for providing and giving effect to the transfer of assets, properties, rights, liabilities, obligations and proceedings of Rajasthan Vidyut Prasaran Nigam Ltd. to Jaipur Vidyut Vitaran Nigam Ltd. and Jodhpur Vidyut Vitran Nigam Ltd. following, namely:-

1. **Short title, extent and commencement.** – (1) This Scheme may be called the Rajasthan Power Sector Reforms Transfer Scheme-II,2016.

(2) This Scheme shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

2. **Definitions.** – (1) In this Scheme, unless there is anything repugnant in the subject or context,-

(a)"**Act**" means the Rajasthan Power Sector Reforms Act, 1999 (Act No.23 of 1999);

(b) "**Assets**" means land, buildings all structures and trees;

(c) "**Effective date of transfer**" means the date of publication of this Scheme in the Official Gazette;

(d)"**Jaipur Discom**" means the Jaipur Vidhyut Vitran Nigam Limited (JVVNL), which is incorporated with the principal object of engaging in the business of distribution and supply of electricity in the area as specified in Part II of Schedule L of the Rajasthan Power Sector Reforms Transfer Scheme 2000;

(e) "**Jodhpur Discom**" means the Jodhpur Vidhyut Vitran Nigam Limited (JDVVNL), which is incorporated with the principal object of engaging in the business of distribution and supply of electricity in the area as specified in Part III of Schedule L of the Rajasthan Power Sector Reforms Transfer Scheme 2000;

(f)"**Liabilities**" means all liabilities, debts, duties, obligations and other outgoings including statutory liabilities and Government levies of whatever nature including the contingent liabilities which may arise in regard to dealings before the effective date of transfer in respect of the specified Undertakings excluding however liabilities relating to personnel and matters related to;

(g)"**Proceedings**" means all proceedings of whatever nature including suits, appeals, complaints, petitions, applications, conciliatory or arbitration whether civil or criminal, or otherwise in which Power Companies is one of the parties;

(h) "**RVPN**" means the Rajasthan Vidyut Prasaran Nigam Ltd. which is incorporated with the principal object of engaging in the business of procurement transmission and bulk supply of electricity.

(i)"**Reforms Scheme**" means the Rajasthan Power Sector Reforms Transfer Scheme 2000;

(j)"**Schedule**" means the schedules appended to this Scheme;

(k)"**State Government**" means the Government of Rajasthan;

(l)"**Transferee**" means Jaipur Vidhyut Vitran Nigam Limited or Jodhpur Vidyut Vitran Nigam ltd. as the case may be, and

(m)"**Transferor**" means Rajasthan Vidhyut Prasaran Nigam Limited.

(2) Words and expressions used in this scheme but not defined shall have the same meaning as assigned to them in the Act.

3. Transfer of Assets and Liabilities etc. – (1) The assets shown in Schedule-A and Schedule-B, earlier transferred, vested in the Transferor under the Reforms Scheme, the assests specified in Schedule-A and Schedule-B, shall be transferred and vested in the Jaipur Vidyut Vitran Nigam Ltd. and Jodhpur Vidyut Vitran Nigam Ltd. respectively.

(2) On such transfer and vesting of the assets under clause (1) to the Transferees, the Transferees shall be responsible for all contracts, rights, deeds, schemes, bonds, agreements and other instruments of whatever nature pertaining to the assets transferred to it, to which Transferor was initially a party, subsisting or having effect on the effective date of transfer, in the same manner as the Transferor was liable immediately before the effective date of transfer, and the same shall be in force and effect against or in favour of the Transferees had been a party thereto instead of the Transferor.

(3) As a consideration for the transfer and vesting of the assets specified,-

(i) in Schedule-A, the Jaipur Vidyut Vitran Nigam Ltd. shall pay rupees 76.64 lacs; and

(ii) in Schedule-B, the Jodhpur Vidyut Vitran Nigam Ltd. shall pay rupees 6.32 lacs; to the Rajsathan Vidyut Prasaran Nigam Ltd.

4. Pending proceedings.–All proceedings of whatever nature by or against the Transferor pending on the effective date of transfer shall not abate or discontinue or otherwise in anyway be affected prejudicially by reason of the transfer Scheme mentioned in the Act and in provisions of this Scheme, and such proceedings may be continued and prosecuted by or against the Transferee to whom the assets and liabilities relating to such proceedings are assigned in accordance with this Scheme only and nobody else. Such proceedings may be continued in the same manner and to the same extent as it would or might have been continued and prosecuted by or against the Transferor if the transfers specified in this Scheme had not been made.

5. Decision of the State Government.–(1) If any, doubt, dispute, difference or issue shall arise in regard to the transfers under this Scheme, subject to the provisions of the Act, the decision of the State Government thereon shall be final and binding on all parties.

(2) The State Government may, by order published in the Official Gazette, make such provisions, not inconsistent with the provisions of the Act, as may appear to be necessary for removing the difficulties arising in implementing the transfer under this Scheme.

Schedule-A

Assets to be transferred from
Rajasthan Vidyut Prasaran Nigam Ltd to Jaipur Vidyut Vitran Nigam Ltd.
(See clause 3)

Land, (including buildings and all structures and trees), presently in the use of the office of Assistant Controller of Stores, RVPN, Heerapura Village Gajsingpura Tehsil Jaipur measuring 38685.886 sq.m approx. (46269.468 sq. yard approx.) situated at right side of NH-8.

Schedule-B
Assets to be transferred from
Rajasthan Vidyut Prasaran Nigam Ltd to Jodhpur Vidyut Vitran Nigam Ltd.
(See clause 3)

Land, (including buildings and all structures and trees), of RVPN Guest House, Shastri Circle, Jodhpur measuring 6468.8816 sq.m approx.

By order of the Governor,

(U.D. Khan)
Joint Secretary to the Government
9/6/16

Copy forwarded to the following for information and necessary action:-

1. Secretary to Hon'ble Chief Minister, Rajasthan
2. Special Assistant, Hon'ble State Minister, Energy
3. Chief Secretary, Rajasthan, Jaipur
4. Chairman, Central Electricity Authority, New Delhi.
5. Secretary, Ministry of Power, Govt. of India, New Delhi
6. Pr. Secretary, Energy
7. Chairman & Managing Director, Rajasthan Rajya Vidyut Prasaran/Utpadan Nigam Limited, Jaipur
8. Chairman, Discoms, Jaipur
9. Managing Director, Jaipur/Jodhpur/Ajmer Vidyut Vitran Nigam Limited.
10. Secretary, Rajasthan Electricity Regulatory Commission, Jaipur
11. Managing Director, Rajasthan Renewable Energy Corporation, Jaipur
12. Superintendent, Central Govt. Press, Jaipur with a request kindly get it published in extra ordinary gazette of Rajasthan Rajpatra.
13. Sr. Electrical Inspector, Rajasthan, Jaipur.
14. Guard File.

Joint Secretary to Govt.
9/6/16